S.D. Pb H/S Tigaon

पत्र क्रमांक :- HFM 2093-97 7/8/92

दिनांक

विषय :- अस्थाई मान्यता

श्री/श्रीमती/कुमारी/कुमार/कुमारियां Tigaon

को 1-4-92 से 31-3-93 तक कक्षा दसवीं

से दसवीं तक पूर्तिया अस्थाई मान्यता वर्ष 92-93

के लिए निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है। यह अस्थाई मान्यता

का प्रथम वर्ष है।

1-ए: मास के वेतन के बराबर की राशि तुरन्त जिला शिक्षा अधिकारी के नाम प्लेज करायी जाये।

2. सभी अध्यापक प्रशिक्षित रखे जाये।

3. स्कूल का भवन अपना होना चाहिये और उसकी रजिस्ट्री आदि स्कूल के नाम होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो अब करायी जाये।

4. मान्यता कमेटी का शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदन कराया जाये।

5. संस्था का रजिस्ट्रार सोसाईटी द्वारा तुरन्त पंजीकरण करायाजाये।

6. अध्यापकों वेतनमान सम्बन्धी सरकारी दर अनुसार क्रास चैक द्वारा किया जाये।

7. आ केवल अपने स्कूल के निर्धारित छात्रों के अतिरिक्त किसी अन्य छात्र को स्कूल के छात्रों परीक्षार्थी है, का पार्ट सत्यापित नहीं कर सकते।

8. डोनेशन फण्ड की राशि जिला शिक्षाअधिकारी के खाते में जमा करायी जाये।

9. पिछले वर्ष की आय तथा व्यय की लेखा सीट सदा उपलब्ध करायी जाये

10. खेल के मैदान की व्यवस्था की जाये।

यदि उपरोक्त शर्तों/निर्देशों के अन्दर पूरी नहीं की गई तो अस्थाई मान्यता वापिस ले ली जायेगी।

Sub-Divisional Education Officer
Faridabad

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद 7/8/92

प्रतिलिपि सूचनार्थ

इसकी प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतु प्रेषित है।

1. जिला शिक्षाधिकारी फरीदाबाद
2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़
3. सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी
4. मुन्शी।

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद

कृ.वा.
7.8.92

Principal
S. D. Public High School
Tigaon (Faridabad)

ओ0डी0 ए0/अफिलिएशन/2-93/82

विषय :- अस्थाई मान्यता ।

एस0डी0 पब्लिक हाई स्कूल तिगाँव

को 1-4-93 से 31-3-94 तक कक्षा 3री से दसवीं

तक पूर्णत: अस्थाई मान्यता वर्ष 93-94 के लिए निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है । यह अस्थाई मान्यता का दूसरा अवसर है ।

1. छ: मास के वेतन के बराबर की राशि तुरन्त जिला शिक्षा अधिकारी के नाम प्लेज कराई जाये ।
2. लड़कियों की ट्यूशन फीस बिल्कुल माफ है ।
3. छात्रों की फीस सरकारी दर अनुसार ली जाये ।
4. सभी अध्यापक प्रशिक्षित रखे जायें ।
5. स्कूल का भवन अपना होना चाहिये और उसकी रजिस्ट्री आदि स्कूल के नाम होनी चाहिये यदि ऐसा नहीं हो तो अब कराई जाये ।
6. प्रबन्धक कमेटी का शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदन कराया जाये ।
 संस्था का रजिस्ट्रार/सोसाइटी द्वारा तुरन्त पंजीकरण कराया जाये ।
7. अध्यापकों को वेतन का भुगतान सरकारी दर अनुसार बैंक द्वारा किया जाये ।
8. आप केवल अपने स्कूल के नियमित छात्रों के अतिरिक्त किसी अन्य छात्र को स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा देना है, का फार्म सत्यापित नहीं कर सकते ।
9. स्पोर्टस फण्ड तथा अन्य फण्डस की रकम तुरन्त जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराई जाये ।
10. खेल के मैदान की व्यवस्था की जाये । प्रयोगशाला पुस्तकालय का अलग कक्ष होना चाहिये ।

यदि उपरोक्त शर्तों के एक मास के अन्दर पूरी नहीं की गई तो अस्थाई मान्यता वापिस ले ली जायेगी ।

Sub-Divisional Education Officer
Faridabad

उप मण्डल शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद

Sub-Divisional Education Officer
Faridabad

पत्र क्रमांक:- सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद ।
निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ ।
सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी,
प्रबन्धक ।

उप मण्डल शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद ।

Principal
S. D. Public High School
Tigaon (Faridabad)

Old Recognition

(3)

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद

सेवा में

~~प्रधान प्रबन्धक~~
~~एस डी हाई स्कूल~~, तिगाव

यादी क्रमांक जी -1/95/ 2102-03 दिनांक 14-9-95

अस्थाई मान्यता वर्ष 1995-96

आप जरा भेजे गये अस्थाई मान्यता के पत्र के संदर्भ में ।

आपके विद्यालय को सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी [~~के~~
क्रमांक ~~जी-2/94/1364-1368~~ दिनांक ~~28-5-94~~ के अधीन
1994-95 हेतु अस्थाई मान्यता कक्षा ~~दहरी~~ से ~~दसवीं~~ तक की उन
रत लगाई गयी शर्तों के आधार पर 1·4·94 से 31·3·95 तक को प्रदान की
ई थी ।

अत: अब आपको निर्देशालय के पत्रांक 23/44-94 एस0 डी0 1 [2]
नांक 2·8·95 को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995-96 हेतु 1·4·95 से 31·3·96
कक्षा ~~दहरी~~ से ~~दसवीं~~ तक की पूर्व लगाई शर्तों एवं निम्नलिखित
र्तों के आधार पर अस्थाई रूप से मान्यता की अवधि बढ़ाई जाती है ।

विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत/जांच लम्बित न हो । यदि भविष्य
प्रकार की शिकायत /कैदोषी पाये गये तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।

वर्ष 1994-95 एवं इससे पूर्व मान्यता प्राप्त अवधि की राशि नियम अनुसार
जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम से जमा कर इस कार्यालय को
[1·4·94 से 31·3·95 तक]

1] रेड क्रास फण्ड 20 प्रतिशत आय का तथा 15/- रुपये प्रतिवर्ष
2] बाल कल्याण फण्ड 75 प्रतिशत आय का
3] स्काउट फण्ड 70 प्रतिशत

विद्यालय में कार्यरत स्टाफ 6 मास के वेतन के बराबर राशि
ा शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम से प्लेज करायें ।

स्टाफस्टेट मैन्ट 1·9·95 के आधार पर इस कार्यालय में भेजें । और इसके
में होने वाले परिवर्तन बारे सूचित करें ।

BR

रोप -2-1500

Principal
S. D. Public High School
Tigaon (Faridabad)